20रु. COURT FEE INDIA Rs.20 भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES
5रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महो, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निग. प्र.क्रं.– I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2149 सन् 2017

1 .बाबू लाल तनय श्री महादेव प्रसाद रिछारिया
2 .बीरेन्द्र रिछारिया तनय श्री बाबूलाल रिछारिया
निवासी ग्राम गौरगांय, तह. व जिला छतरपुर(म.प्र.) ....निगरानीकर्तागण

बनाम

1 .तेजिंदर पाल सिंह तनय स्व. श्री मनोहर सिंह
2 .जेतिंदर पाल सिंह तनय स्व. श्री मनोहर सिंह
3 .हरबंश कौर पत्नी स्व. श्री मनोहरसिंह निवासी
पेप्टेककॉलोनी, देरीरोड़ तह. व जिला छतरपुर(म.प्र.)
4 .शासन म.प्र. .... उत्तरवादी / गैर निगरानीकर्तागण

मुकेश भार्गव एडवोकेट 10-7-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता
निगरानी विरूद्व प्र.क्रं. 29 / अ–12 / 16–17 आदेश दिनांक 22.05.17 राजस्व निरीक्षक महोदय छतरपुर तह. व जिला छतरपुर (म.प्र.) तेजिन्दर पाल सिंह बनाम शासन म.प्र.

10-7-17

मुकेश भार्गव एडवोकेट 10-7-17 ग्वालियर

महोदय ,

निगरानीकर्ता**गण बाबूलाल** तनय श्री महादेव प्रसाद रिछारिया, **बीरेन्द्र रिछारिया** तनय श्री बाबूलाल रिछारिया निवासी ग्राम गौरगांय, तह. व जिला छतरपुर (म.प्र.) के है जो कि निम्न लिखित निगरानी सादर पेश करते है कि :–

–:: निगरानी के तथ्य ::–

1 . यह कि निगरानीकर्तागणों के निजी आधिपत्य की भूमि ख.नं. 437 / 2, 440 / 2, 441, 442 रकवा क्रंमशः 0.455, 0.433, 0.437, 0.178 हेक्टर स्थित ग्राम गौरगांय, तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. में है जिसमें निगरानीकर्तागणों का पूर्व से मौके पर कब्जा है ! उपरोक्त आराजियों के संबंध में मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. अपील प्र.क्रं. 662 / 2008 लंबित है एवं मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त भूमियों के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया गया है, फिर भी राजस्व निरीक्षक महोदय श्री जयप्रकाश शुक्ला द्वारा उत्तरवादी क्रं. 1 तेजिन्दर पाल सिंह से मिलकर कथित आराजियों की मौके पर दिनांक 17.5.17 को पुलिस बल की उपस्थिति में नाप कर दी व कथित आराजियों में से ख.नं. 441, 442 का दिनांक 22.5.17 को सीमांकन स्वीकृत कर दिया गया, जिससे दुखित होकर निगरानीकर्ता गण निम्न लिखित ठोस एवं सुढ़ढ़ आधारो पर निगरानी सादर पेश करते है कि :–

–:: निगरानी के आधार ::–

1 . यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधनिक आदेश पारित किया गया है क्योंकि भूमि ख.नं. 437 / 2, 440 / 2, 441, 442 स्थित ग्राम गोरगांय में मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. से अपील प्र. क्रं. 662 / 8 लंबित है तथा उपरोक्त भूमियों पर मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. द्वारा दिनांक 22.5.17 को स्थगन आदेश जारी किया गया है, इस कारण योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्र.क्रं. 29 / अ–12 / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 22.5.17 सव्यय निरस्त किया जावे !

क्रंमश : .... 2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2149 बाबूलाल विरूद्ध तेजिंदर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 29/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 22-05-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 10.1.19 सदस्य	